

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(11)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 15-5-25.

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अशोक कुमार सिंघल, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/1904/2001) को विशिष्ट न्यायालय, अजा/अजजा(अ0नि0प्र0), भरतपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक अजा/अजजा(अ0नि0प्र0), भरतपुर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

नोट:- उक्त नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में विचाराधीन एस0बी0सिविल रिट पिटीशन सं0 6216/2025 श्री महाराज सिंह सिनसिनवार वगै0 बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से

Sd.

(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- ✓ 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।

Sd.
15/5/25
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(11)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 15-5-25.

:: आदेश ::

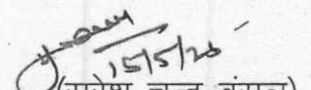
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं0 2 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं0 3 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं0 4 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं02, भरतपुर	श्री ऋषिपाल तिवारी (आर/2072/2001)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, भरतपुर
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं03, भरतपुर	श्री धर्मेन्द्र कुमार (आर/180/2013)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं03, भरतपुर
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं04, भरतपुर	श्री हरेन्द्र सिंह (आर/121/1989)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं04, भरतपुर
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं02, बयाना जिला भरतपुर	श्री ओमप्रकाश (आर/29/2006)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, बयाना जिला भरतपुर

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री भगत सिंह	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, भरतपुर
2	श्री नरेन्द्र पाल सिंह	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं03, भरतपुर
3	श्री अशोक कुमार (सहना)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं04, भरतपुर

आज्ञा से


(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- ✓ 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।


(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि